तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **गोरधन लाल शर्मा बनाम दामोदर लाल शर्मा** **89 / 19 (आरसीएमएस नं. 2019 / 00129)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.11.19	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र बाबत अपील में आगे कार्यवाही नही किये जाने पेश कर कथन किया है कि न्यायालय श्रीमान् के समक्ष विचाराधीन उक्त अपील में अपीलान्ट आगे किसी प्रकार की कार्यवाही नही करना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील अपीलान्ट खारिज फरमा दी जावें। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने एवं अपील अपीलान्ट खारिज करने में किसी प्रकार का कोई एतराज नही किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट स्वयं ही अपनी अपील को खारिज करवाना चाह रहे है तो ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (के0सी0वर्मा) सभागीय आयुक्त, जयपुर।	